प्रेषक

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां,हरियाणा,
पंचकूला ।

प्रेषित

सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
दि केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, हरियाणा राज्य में।

यादी क्रमांकः 2/18/2004/सी–1/ 28041-22
दिनांकः 04/5/15

विषयः– बैंक कर्मचारियों के स्थायी स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की अनुमति बारे।

उपरोक्त विषयाधीन मामले में प्रायः यह देखने में आया है कि ज्यादातर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी होने के बावजुद भी आपके बैंक के निदेशक मण्डल/प्रशासक मण्डल द्वारा कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति/स्थायी स्थानान्तरण पर भेजने का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, लेकिन बैंक के कर्मचारियो का विवरण, हिदायतें/नियम और बॉयलाज, स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति का कारण आदि का उल्लेख नही किया जाता है। जिस कारण कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति/स्थायी स्थानान्तरण के केसों के निपटान में अनावश्यक देरी होती है।

अतः सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, हरियाणा राज्य में को निर्देश दिए जाते है कि बैंक के किसी भी कर्मचारी को अन्य सहकारी संस्था या किसी अन्य ऐजेन्सी में प्रतिनियुक्ति/स्थायी स्थानान्तरण पर भेजने हेतु पारित प्रस्ताव में निम्न लिखित सूचना शामिल होनी चाहिएः–

1. कर्मचारी के प्रार्थना पत्र की तिथि।
2. कर्मचारी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पावती तिथि।
3. कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में बताया गया कारण।
4. कर्मचारी की क्लास/श्रेणी और दोनों बैंकों में उक्त क्लास/श्रेणी के कर्मचारियों का विवरण ।
5. बैंक प्रबन्धन के द्वारा कर्मचारी के अनुरोध पर दी गई सहमति के कारण का विवरण।
6. सम्बन्धित हिदायतें/नियम और बॉयलाज के प्रावधान का विवरण जिसके आधार पर उक्त निर्णय लिया गया है व रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा को अनुमति हेतु भेजा गया है।

Shilpa
सहायक रजिस्ट्रार (ऋण)
o/c कृतेः रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
हरियाणा, पंचकूला।